

## निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(3)/

309

/अनि0स्था0/2022-23

दिनांक: 10 जुलाई 2022

### विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोकसेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 एवं धारा-10 तथा शासनादेश सं0-30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश सं0-124/XXX-2/22-30 (13)2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के क्रम में गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति पर महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) (वेतनमान रू0 47600-151100, लेवल-08) को उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री शैलेन्द्र कुमार	रा0इ0का0 श्यामपुर, हरिद्वार।	रा0इ0का घंघासूबांगर, रुद्रप्रयाग।	सुगम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
2	श्री देवानन्द बड़ोनी	का0खं0शि0अ0 बहादुराबाद, हरिद्वार।	रा0बा0इ0का पुरोला उत्तरकाशी।	सुगम से दुर्गम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
3	श्रीमती कमला शर्मा	रा0इ0का धानाचूली, नैनीताल।	रा0बा0इ0का0 सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
4	श्री नरेन्द्र सिंह देवली	रा0इ0का0 मुन्सयारी, पिथौरागढ़।	का0जि0शि0अ0प्रा0शि0 चंपावत।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
5	श्री विजय प्रसाद सेमवाल	रा0इ0का0 काटल, टिहरी।	रा0इ0का0 नौगांव, उत्तरकाशी।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
6	श्री पान देव पाठक	का0खं0शि0अ0 भिकियासैण, अल्मोड़ा।	का0खं0शि0अ0 चौखुटिया, अल्मोड़ा।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
7	श्री शिवलाल आर्य	रा0इ0का0 आदिबद्री, चमोली।	रा0इ0का0 मुण्डाखेड़ा, हरिद्वार।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
8	श्री विराज लाल आर्य	का0खं0शि0अ0 थलीसैण, पौड़ी।	का0खं0शि0अ0 खानपुर हरिद्वार।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
9	श्री संतोष कुमार पुनेठा	रा0इ0का0 बलुवाकोट, पिथौरागढ़।	का0जि0शि0अ0 मा0शि0 चंपावत।	दुर्गम से सुगम	उपलब्ध रिक्त पद पर।
10	श्री बच्ची राम गौड़	का0खं0शि0अ0 घाट, चमोली।	का0खं0शि0अ0 बहादुराबाद, हरिद्वार।	दुर्गम से सुगम	क्रमांक-02 से रिक्त होने वाले पद के प्रति।

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।





4. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

10.07.22  
(एस0पी0 खाली)  
अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

/अनि0स्था0/2022-23 तददिनांक।

पृ0सं0/सेवायें-3(3)/

6341-6354

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
7. प्राचार्य, डायट सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड।
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. सम्बन्धित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

10/7/2022  
(एम0एस0 बिष्ट)  
उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड